भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

 **राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1000**

**बुधवार,19 दिसम्‍बर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**स्टार्ट-अप्स में अनैतिक व्यवसाय संबंधी आईबीएम की रिपोर्ट**

**1000. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) स्टार्ट-अप संबंधी नीति की घोषणा के बाद से कितने स्टार्ट-अप शुरू किये गए हैं और कितने रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आईबीएम द्वारा कराए गए आंट्रप्रेनेयोर इंडिया नामक एक अध्ययन के अनुसार लगभग दो तिहाई स्टार्ट-अप अनैतिक व्यवसाय कर रहे हैं और यह स्टार्ट-अप की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय इस प्रवृत्ति को किस प्रकार देखता है;

(घ) उपरोक्त के मद्देनजर क्या मंत्रालय स्टार्ट-अप के और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कोई विनियामक ढांचा तैयार कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर.चौधरी)**

**(क):** देश में शुरु हुए सभी स्‍टार्ट-अप्‍स और सृजित रोजगार अवसरों से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, यह उल्‍लेखनीय है कि दिनांक 12.12.2018 तक स्‍टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्रदत्त 10,517 स्‍टार्ट-अप्‍स को दिनांक 16.01.2016 को स्‍टार्ट-अप इंडिया कार्य योजना को शुरु करने के बाद निगमित किया गया है। इन स्‍टार्ट-अप्‍स में से 9,475 ने 78,479 व्‍यक्तियों को रोजगार उपलब्‍ध करवाने की सूचना दी है।

**(ख):** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के पास ‘आंट्रप्रेनेयोर इंडिया’ नामक अध्‍ययन से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**(ग) से (ङ):** उपर्युक्‍त के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*